नम्बर मुकदमा 891/20218
अनवान कृष्ण कुमार बनाम परमेश्वरी देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 891/2018

कृष्ण कुमार पुत्र मंगुराम जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. परमेश्वरी देवी पत्नि श्यामलाल जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तह० व जिला श्रीगंगानगर
2. वेदप्रकाश पुत्र श्यामलाल जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तह० व जिला श्रीगंगानगर।
3. जगजीत सिंह पुत्र श्यामलाल जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तह० व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुरजीत पुत्र श्यामलाल जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तहं० व जिला श्री गंगानगर।
5. अनिल कुमार पुत्र श्यामलाल जाति अरोडा निवासी खाटलबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर ।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, राजस्व, श्री गंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुम्बर
2. श्री मोहन लाल माहर — – – प्रार्थी
3. पैरोकार राज — – – अप्रार्थी 1 ता 5
– – अप्रार्थी 6

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 19.06.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त का रकबा चक 2 जे बडा तह0 श्री गंगानगर का खाता सं0 68/34, मु० न० [illegible] के किला न0 1, 10, 11 में 0.700 है0 है, जमाबंदी की नकल शामिल है, [illegible] मुश्तरका खाता में दर्ज है मगर इस पर कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है । चक [illegible] के मु० [illegible] 18 के किला न० 1 के पास से रास्ता उत्तर से दक्षिण जाता हुआ निकल रहा है [illegible] के रकबा के लिए मु० न० 18 के किला न० 1 ता 5 में से उत्तरी हिस्सा [illegible] रास्ता मौके पर चल रहा [illegible] प्रार्थी अपने रकबा में आवागमन कर रहा है इसके [illegible]वा प्रार्थी के रकबा के लिए [illegible] रास्ता नहीं है, मु० न० 18 के किला न० 1 ता 5 अप्रार्थीयान 1 ता 5 के नाम से खाता सं0 27/3 के रूप में दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है, इस प्रकार से प्रार्थी को उक्त प्रचलित रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक है क्योकि अप्रार्थीयान अब आवागमन में रूकावट पैदा करने लगे है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी के रकबा चक 2 जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

बडा तह0 श्री गंगानगर के मु० न० 19 के लिए चक 2 जे बडा के मु० न० 18 के किला न० 1 ता 5 की उत्तरी तरफ एक–एक बिस्वा प्रचलित रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के द्वारा जवबा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थीगण के नाम से चक 2 जे बडा में खाता संख्या 27/8–31 में मुरब्बा नम्बर 14 व 28, 18 में 9.632 हैक्टर आराजी दर्ज खातेदारी है। जिसके मुरब्बा नम्बर 18 में किसी प्रकार का कोई मन्जूर शुद्धा रास्ता किला नम्बर 1 ता 5 में नही है तथा ना ही किला नम्बर 1 ता 5 में मौके पर रास्ता चल रहा है। प्रार्थी का कथन कि मुरब्बा नम्बर 18 में किला नम्बर 1 ता 5 में से उत्तरी हिस्सा में एक–एक बिस्वा रास्ता मौक पर चल रहा है कतई गल्त है, बल्कि स्थिति यह है, कि चिपते मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1 ता 5 में से उत्तरी हिस्सा में एक एक बिस्वा रास्ता मौके पर चल रहा है इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो प्रार्थी की आराजी के समीपस्थ है। प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य बोगस है प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आनें जानें के लिये वर्तमान में वाके चक 2 एफ के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21 ता 25 में प्रचलित रास्ता का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जो प्रार्थी के उपयुक्त है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जाना के खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 के चिपता हुआ 5X3 मीटर का गैर मुमकिन स्वीकृत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के अपील प्रस्तुत की गई। श्रीमान् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 03.10.2018 के द्वारा अपील अप्रार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि *"अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2017 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपील के दोनों पक्षों सहित आवश्यक सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए तत्सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के प्रावधानों व उपर दिये विवेचन को भी दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में आवशक मौका निरीक्षण करवा कर विस्तृत विवेचना कर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।"*

प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट कमांक 163 दिनांक 11.03.2020 के अनुसार *"मौका एवं रिकार्ड की जांच ... हिन्दुमलकोट से करवाई गई। जिसके अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ... निर्णय दिनांक 5.03.2017 की पालना मे चक 2 जे बडा के मु० न० 18 के किला नं० 5 ... मीटर गैर मु० रास्ता जरीये नामान्तरण संख्या 524 दिनांक 10.3.2017 के द्वारा राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामंद हो चुका है तथा मौका पर रास्ता चालू है। वादी एवं प्रतिवादी ... मौका पर उपस्थित हेतू दुरभाष पर सम्पर्क किया गया प्रतिवादी जगजीत सिंह ने घडसाना में निवास करना बताया गया तथा वादी कृष्ण कुमार भी खाटलबाना में स्थाई तोर पर निवास नहीं करता है। प्रतिवादी का भाई अनिलकुमार मौके पर उपस्थित मिला। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मौका नक्शा उपतहसीलदार हिन्दुमल कोट की जांच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ हेतू सादर प्रेषित है।"*

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वकील उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 163 दिनांक 11.03.2020 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निणर्य दिनांक 5.03.2017 की पालना में गैर मु० रास्ता जरीये नामान्तरण संख्या 524 दिनांक 10.3.2017 दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मौका पर उपस्थित रहने बाबत सूचना दिये जाने पर भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौका पर उपस्थित नहीं हुए। उक्त विवेचन एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. में आवश्यक पक्षकारों के मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अनुपस्थित रहने एवम् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निणर्य दिनांक 5.03.2017 की पालना में गैर मु० रास्ता जरीये नामान्तरण संख्या 524 दिनांक 10.3.2017 दर्ज होने से प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 19.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:20 IST
Reason: SelfAttested